

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-92/2017/4765/पांच-8-2017-जी0(305)/2017
लखनऊ : दिनांक 07 नवम्बर, 2017

कार्यालय-जाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-जाप संख्या-48/2017/1116/पांच-8-2017-जी0(272)/2016टी0सी0, दिनांक 21-04-2017 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैंड रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 सुरभि सिंह की नियुक्ति/तैनाती ई0एम0ओ0 जिला महिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर के अधीन की गयी। डा0 सुरभि सिंह ने पत्र दिनांक 04-05-2017 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर के कार्यालय में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत कर पूर्व से किये जा रहे पी0जी0 कोर्स में अध्ययनरत हो गयी। डा0 सुरभि सिंह द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त जिला चिकित्सालय, पीलीभीत में नेत्ररोग विशेषज्ञ के पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण कराने का अनुरोध किया गया।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 सुरभि सिंह, चिकित्साधिकारी(नेत्र रोग विशेषज्ञ) की ई0एम0ओ0 जिला महिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर के अधीन की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय, पीलीभीत के अधीन एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 सुरभि सिंह, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल दिनांक 01-12-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय जाप दिनांक 21-04-2017 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

अजीत कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-92/2017/4765(1)/पांच-8-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर।
- 8- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पीलीभीत।
- 9- कोषाधिकारी, शाहजहांपुर/पीलीभीत ।
- 10- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

ओम्ना से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।